

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**मांग संख्या 59**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
राजस्व	351.99	1768.00	2119.99	316.67	1600.00	1916.67	515.46	1754.18	2269.64	
पूँजी	448.01	...	448.01	190.33	...	190.33	334.54	...	334.54	
<b>जोड़</b>	<b>800.00</b>	<b>1768.00</b>	<b>2568.00</b>	<b>507.00</b>	<b>1600.00</b>	<b>2107.00</b>	<b>850.00</b>	<b>1754.18</b>	<b>2604.18</b>	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	13.50	39.49	52.99	13.04	38.01	51.05	17.01	38.07	55.08
<b>सूचना और प्रचार</b>										
2. फिल्में	2220	31.57	64.60	96.17	38.57	69.57	108.14	34.10	69.00	103.10
3. चलचित्रण फिल्मों का प्रमाणन	2205	1.35	5.80	7.15	0.70	5.73	6.43	1.30	5.70	7.00
4. जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण	2220	1.88	7.00	8.88	1.00	9.82	10.82	0.95	8.67	9.62
5. विज्ञापन और दृश्य प्रचार	2220	26.88	64.87	91.75	36.88	67.00	103.88	44.50	62.28	106.78
6. प्रेस सूचना सेवा	2220	19.03	37.66	56.69	19.03	41.76	60.79	34.50	41.03	75.53
7. क्षेत्रीय प्रचार	2220	0.49	41.27	41.76	0.49	40.66	41.15	0.45	35.72	36.17
8. संगीत और नाटक प्रभाग	2220	4.00	20.02	24.02	4.00	22.25	26.25	4.72	20.24	24.96
9. प्रकाशन	2220	0.24	52.73	52.97	0.24	47.88	48.12	0.16	49.50	49.66
10. इमारतें और मशीनरी	4220	41.12	...	41.12	40.12	...	40.12	62.56	...	62.56
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र	2220	...	4.80	4.80	...	2.87	2.87	2.18	4.10	6.28
12. अन्य व्यय	2220	0.87	7.60	8.47	2.27	8.01	10.28	2.70	7.50	10.20
13. प्रसार भारती को अनुदान सहायता	2221	213.21	1422.16	1635.37	175.48	1246.44	1421.92	344.77	1412.37	1757.14
14. सरकारी उद्यमों में निवेश										
14.01 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	4220	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	3.00	...	3.00
14.02 प्रसार भारती	6221	355.84	...	355.84	130.21	...	130.21	227.48	...	227.48
15. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के विकास की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान										
	2552	38.97	...	38.97	24.97	...	24.97	28.12	...	28.12
	4552	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09	0.50	...	0.50
	6552	50.95	...	50.95	19.90	...	19.90	41.00	...	41.00
<b>जोड़</b>		<b>90.01</b>	<b>...</b>	<b>90.01</b>	<b>44.96</b>	<b>...</b>	<b>44.96</b>	<b>69.62</b>	<b>...</b>	<b>69.62</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>800.00</b>	<b>1768.00</b>	<b>2568.00</b>	<b>507.00</b>	<b>1600.00</b>	<b>2107.00</b>	<b>850.00</b>	<b>1754.18</b>	<b>2604.18</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
14.01 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	22220	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	3.00	...	3.00
14.02. प्रसार भारती	22221	355.84	...	355.84	130.21	...	130.21	227.48	...	227.48
<b>जोड़</b>		<b>355.85</b>	<b>...</b>	<b>355.85</b>	<b>130.22</b>	<b>...</b>	<b>130.22</b>	<b>230.48</b>	<b>...</b>	<b>230.48</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. सूचना और प्रचार	22220	140.94	...	140.94	156.35	...	156.35	208.13	...	208.13
2. प्रसारण	22221	569.05	...	569.05	305.69	...	305.69	572.25	...	572.25
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	90.01	...	90.01	44.96	...	44.96	69.62	...	69.62
<b>जोड़</b>		<b>800.00</b>	<b>...</b>	<b>800.00</b>	<b>507.00</b>	<b>...</b>	<b>507.00</b>	<b>850.00</b>	<b>...</b>	<b>850.00</b>

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय के लिए व्यवस्था है जिसमें प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास शामिल हैं।

**सूचना तथा प्रचार:**

2. **फिल्में:** इस शीर्ष के अंतर्गत मंत्रालय की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए व्यवस्था की गई है, अर्थात् (क) फिल्म प्रभाग, जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों को देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समाचार दर्शनों, लघु चलचित्रों और वृत्तचित्रों के माध्यम से जानकारी देता है, (ख) फिल्म महोत्सव निदेशालय संबंधी व्यय, (ग) फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (घ) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा फिल्म महोत्सवों में पेनोरमा आफ इंडियन फिल्मों पर व्यय, (ङ) सिरीफोर्ट, नई दिल्ली में फिल्म महोत्सव काम्पलेक्स का परिवर्धन और परिवर्तन, (च) भारती राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो राष्ट्रीय और विदेशी सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्मों को सुरक्षित

रखता है, (छ) भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान जो बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण तथा वितरण करती है, (ज) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान पूणे को अनुदान जो फिल्म निर्माण की कला एवं तकनीक में प्रशिक्षण देता है, और (झ) सत्यजीत रे फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता को अनुदान।

3. **चलचित्रण फिल्मों का प्रमाणन:** इसके अन्तर्गत (i) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण पर व्यय की व्यवस्था की गई है।

4. **जन संचार में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण:** इस शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) भारतीय जन संचार संस्थान, जो एक स्वायत्त निकाय है और जन संचार माध्यम में प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा पत्रकारिता में पाठ्यक्रम आयोजित करता है, और (ख) अनुसंधान एवं संदर्भ प्रभाग,

जो मंत्रालय और उसके मीडिया एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों और समाचार पत्रों तथा मीडिया एजेंसियों के लिए मीडिया के हित में महत्वपूर्ण विषयों पर बुनियादी सूचना इकट्ठा करता है और उसका समन्वय करता है।

5. **विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार:** इसके अन्तर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जो कि विज्ञापन तथा अन्य प्रकाशित सामग्री के जरिए और साथ ही रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनियों तथा अन्य बाह्य प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार अभियानों का कार्यक्रम बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है।

6. **प्रेस सूचना सेवाएं:** इसके अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल है, (क) प्रेस सूचना ब्यूरो संबंधी व्यय जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन सम्पर्क संबंधी आवश्यकताओं को देखता है (ख) भारतीय प्रेस परिषद, को अनुदान, जो एक वैधानिक संगठन है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है, और (ग) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के माध्यम से गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारतीय समाचार पूल डेस्क का संचालन करने के लिए व्यवस्था।

7. **क्षेत्रीय प्रचार:** इसमें क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा उसके जिला स्तरीय क्षेत्रीय एककों के खर्च के लिए व्यवस्था की गई है जो कि फिल्म प्रदर्शनों, सीधे प्रसारित मीडिया कार्यक्रमों, फोटो प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विकास संबंधी संचार के क्षेत्र में कार्यरत है।

8. **संगीत तथा नाटक प्रभाग:** इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था संगीत तथा नाटक प्रभाग के लिए है जो देश भर में फैले हुए अपने एककों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यों के बारे में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जनसाधारण को अवगत कराने के लिए सीधे प्रसारित/प्रदर्शित मनोरंजन के माध्यम का प्रयोग करता है।

9. **प्रकाशन:** इसके अन्तर्गत मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के खर्च के लिए व्यवस्था की जाती है जो कि विभिन्न किस्म के विषयों पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समूह्य पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित सामग्री प्रकाशित करता है। प्रकाशन प्रभाग, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू में साप्ताहिक रोजगार समाचार भी निकालता है।

10. **भवन और मशीनरी:** इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है (क) फिल्म डिवीजन मुम्बई में बहुमंजली इमारत के निर्माण, (ख) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के लिए कार्यालय

की इमारत, चरण-II (ग) फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा सिरीफोर्ट काम्पलेक्स, दिल्ली में परिवर्धन एवम् परिवर्तन (घ) भारतीय जन संचार संस्थान की निर्माण एवं आवास परियोजना (ङ) प्रेस सूचना ब्यूरो के मनी मीडिया केन्द्र की स्थापना तथा फिल्म प्रभाग, तथा सीबीएफसी, पी.आई.बी., डी एफ पी. एफ टी आई आई पुणे, फोटो प्रभाग, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र और संगीत और नाटक प्रभाग के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत उपस्करों की अधिप्राप्ति।

11. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र :** इसके अंतर्गत कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए टेलीविजन चैनलों/रेडियो की मानीटरिंग के लिए प्रावधान हैं।

12. **अन्य व्यय:** इसके अन्तर्गत फोटो डिवीजन, भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के व्यय हेतु प्रावधान और संचार के विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा एशियन इंस्टीट्यूट आफ ब्राडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए अंशदान की व्यवस्था शामिल है।

13. **प्रसार भारती को सहायता अनुदान -** प्रसार भारती को अपने राजस्व व्यय हेतु संसाधनों में आप अन्तर को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

#### 14. सरकारी उद्यमों में निवेश :

14.01 **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम:** यह व्यवस्था मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को वित्तीय सहायता देने के लिए है ताकि उन्हें मनोरंजन मीडिया, फिल्मों के क्षेत्र में विकासात्मक क्रियाकलाप करने में समर्थ बनाया जा सके।

14.02 **प्रसार भारती:** प्रसार भारती को अपने पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए यह ऋण प्रदान किया जा रहा है।

15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास हेतु बनी परियोजनाओं/योजनाओं के लिए यह एक मुश्त प्रावधान किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए वर्ष 2010-11 के लिए आयोजना आवंटन 850 करोड़ रूपए है, जिसमें मंत्रालय की सामान्य आयोजना स्कीमों के लिए 531.48 करोड़ रूपए और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 318.52 करोड़ रूपए शामिल है। 531.48 करोड़ रूपए के कुल सामान्य आयोजना परिव्यय में से 343.48 करोड़ रूपए प्रसारण क्षेत्र के लिए आवंटित है, 100 करोड़ रूपए सूचना क्षेत्र के लिए और 88 करोड़ रूपए फिल्म क्षेत्र के लिए आवंटित है।